न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 66/2017

1. विमला आयु 50 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी देवीलाल जाति नाई निवासी वार्ड नं.35 एस एस बी मार्ग शिव कॉलोनी श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर ।

—प्रार्थीया—

बनाम

1. अमीत आयु 30 वर्ष पुत्र मूलचल्द जाति नाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. लाली आयु 55 वर्ष पत्नी मूलचल्द जाति नाई निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. अनिता आयु 26 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी राकेश जाति नाई निवासी डीगावाली तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. सुनिता आयु 28 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी सुरेन्द्र जाति नाई निवासी डीगावाली तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. बेवी आयु 48 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी श्यामलाल जाति नाई निवासी सैक्टर नं.6.. जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीया—

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिमाषकगण ::–

1.	श्री कुलदीप सिंह रमाणा	— प्रार्थीया
2.	श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	— अप्रार्थी सं. 1 ता 5
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	— अप्रार्थी सं.

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य है कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत विमला बनाम अमीत आदि किया जा चूका है जिसमे प्रार्थीया को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोस आधार है। यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के परिवार की वंशावली अंकित है। प्रार्थीया के पिता मूलचन्द मृतक के नाम से तहसील पीलीबगा के चक 26 एस टीजी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 5 बीघा नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया के दादा फताराम पुत्र देवाराम के नाम लालगढ़ जाटान के चक 24एस. डी. एस तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 17 का किला नं. 1 ता 25 मे मुरब्बा नं. 24 का किला नं. 1 ता 16 की 41 बीघा कमाण्ड भूमि जो लालगढ छावनी आ जाने के कारण उक्त वर्णित भूमि सरकार द्वारा अवाप्त कर ली गई तथा फताराम को अवाप्त की गई भूमि की एवज मे क्लैम राशि दी गई। कि फताराम को अपनी भूमि अवाप्त होने के पश्चात क्लैम के रूप मे प्राप्त धनराशि से फताराम ने अपने जीवन काल मे तहसील पीलीबंगा के चक 26 एस टी. जी के प. नं. 48/323 का किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा नाली द्वितीय की भूमि खरीद कर अपने को क्लैम मे प्राप्त धनराशि विक्रेता को अदा करके उक्त वर्णित चक 26 एस. टी. जी की 25 बीघा भूमि अपने पाचों पुत्रो मूलचन्द, सत्यनारायण, जगदीश, सुरेन्द्र, मामचन्द के [illegible] बैनामा ब हिस्सा बराबर मे लेखबद्ध करवाया गया तथा तत्पश्चात 25 बीघा भूमि का फता[illegible] आपस मे बंटवारा कर लेने से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 5 के पिता व [illegible] 26 एस टी जी के प. नं. 48/323 का किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक्टर भूमि [illegible] प्राप्त हुई। कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1, 3 से 5 व अप्रार्थी सं. 2 के पति मूलचन्द के नाम दर्ज 26 एस. टी. जी के प. नं. 48/323 का किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक्टर भूमि खरीद की गई भूमि के समय [illegible]राम के पुत्रो की कोई आय [illegible] से तथा उक्त खरीद की कई भूमि का प्रतिफल राशि फताराम द्वारा अपनी भूमि के क्लैम में प्राप्त की गई धनराशि में से ही की गई होने से फताराम के पुत्र मूलचन्द के नाम जरिये बैयनामा खरीद की गई उक्त वर्णित चक नं. 26 एस टी जी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 5 बीघा नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन प्रार्थीया व परिवार के अन्य सदस्यो अप्रार्थी सं. 1,3 से 5 की पैतृक व सहदायकी सम्पति है जिसमें प्रार्थीया के पिता मूलचन्द के नाम दर्ज 1/5 हिस्से मेंप्रार्थीया व अप्रार्थीगण का भी मूलचन्द के बराबर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हक व हिस्सा मूलचन्द के जीवनकाल में निहित हो चुका था । प्रार्थीया के पिता मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 22.05.2017 को हो चुकी होने से उनकी वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि में मूलचन्द के 1/6 हिस्से की भूमि उनके छः विधिक वारिसानों प्रार्थीया व अप्रार्थी सं.1 से 5 को ब हिस्सा बराबर विरास्त मे प्राप्त हुई। प्रार्थीया के पिता मूलचन्द के नाम दर्ज भूमि प्रार्थीया की पैतृक व सहदायकी सम्पति होने से प्रार्थीया को प्रश्नगत भूमि में मूलचन्द के जीवनकाल में व उसकी मृत्यु के पश्चात विरास्त में प्राप्त हुआ हक व हिस्सा 0.246 हैक्टर की स्वामीनी होने सेप्रार्थीया प्रश्नगत चक 26 एस टी जी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक. अर्थात 5 बीघा नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि मेंप्रार्थीया अपने 0. 246 हैक्टर हिस्सा की खातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है। कि अप्रार्थीगण अपराधि क षड्यन्त्र रचकर प्रार्थीया को प्रश्नगत भूमि में प्राप्त हुए हक व हिस्सा से वंचित करने के द्य आशय से किसी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने के लिये प्रयासरत से प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि में अपने 0.246 हैक. हिस्से की खातेदार होने से एवं प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तूलन व अपूर्णिय क्षति के तीनो बिन्दू होने से प्रार्थीया इस वादकालिन निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण चक 26 एस टी जी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक. अर्थात 5 बीघा नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीया के 0.246 हैक. भूमि के हक व हिस्से को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे। तथा रिकार्ड मे किसी प्रकार से कोई परिवर्तत नही करवावे अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वाद कालिन अस्थाई निषेध ज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 26 एस टी जी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक. अर्थात 5 बीघा नाली द्वितीय मय गैर मुमकिन खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीया के 0.246 हैक. भूमि के हक व हिस्से को रहन बैय व अन्तरित करने से निषेध रहे तथा रिकार्ड मे किसी प्रकार से कोई परिवर्तत नही करवावें।

अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से निम्न प्रकार है–प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र पेश होना की हद तक स्वीकार है । शेष कथन अस्वीकार है । प्रार्थीया ने शुन्य एवं अविधिक वाद प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीया को किसी किस्म की सफलता हासिल नही होगी । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है जिसका सिद्ध भार प्रार्थीया पर है प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है, स्वीकार है । उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी 1, 3, 4 के पिता, अप्रार्थी सं. 2 के पति के द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 02.01.1981 को श्री मदनलाल पुत्र श्री डूंगरराम जाति राजपूत से खरीदशुदा एवं उप पंजीयक सूरतगढ से पंजीयन शुदा है । श्री मूलचन्द ने उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल मे अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1 के हक में दिनांक 09.05.2015 को रोबरू गवाहान तहरीर करवार उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीयन करवाई थी । वर्तमान मे उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में बिना किसी वाद विवाद के चली आ रही है । चित्रप्रति बैनामा व वसीयत संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है । प्रार्थीया के दादा फताराम पुत्र देवाराम के नाम लालगढ़ जाटान के नाम से चक 24 एसडीएस के मु.नं. 17 के किला नं. 1 ता 25, मु.नं. 24 के किला नं. 1 ता 16 कुल तादादी 41 बीघा भूमि नाई माफी की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी । उक्त भूमि मे प्रार्थीया के पिता व अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, 5, अप्रार्थी सं. 6 के पति का कोई हक व हिस्सा जन्म से निहित नही था क्योंकि उक्त रकबा आवंटन शुदा रकबा था जो प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के दादा, अप्रार्थी सं. 2 के ससुर को गांव की सेवा चाकरी के लिए आवंटन हुई थी । उक्त भूमि पर प्रार्थीया के दादा का कोई हक व हिस्सा निहित नही था । शेष कथन असत्य अविधिक एवं मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि उक्त रकबा लालगढ छावनी मे अवाप्त हो जाने के कारण जो भी राशि मिली वह राशि फताराम के द्वारा स्वयं ने ही खर्च कर ली गई । मिन अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता, अप्रार्थी सं. 2 के पति मूलचन्द के द्वारा अपने स्वयं की मेहनत व कमाई से चक 26 एसटीजी के प.नं. 48/323 के किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक. जरिये पंजीकृत बैयनांमा मदनलाल पुत्र डूंगर सिंह जाति राजपूत साकिन चक 26 एसटीजी से खरीद की थी । उक्त खरीद मे प्रार्थीया व अप्रार्थी के दादा [illegible] कोई राशि वहन नही की गई । इसलिए प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता एवं अप्रा[illegible] का जन्म से पैतृक एवं सहदायिक सम्पति नही है । ना ही उक्त वर्णित भूमि [illegible] उक्त रकबा अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 2 के [illegible] कर खरीद की है इसमे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा जन्म से नि[illegible] द्वारा प्रार्थीया की शादी मे काफी धन दहेज, स्त्री धन, जेवरात, घरेलू सामान देकर उसकी शादी की है [illegible]लचन्द के द्वारा उक्त खरीदशुदा रकबा मे से अपनी पुत्रीयों कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही देना चाहता था इसलिए मूलचन्द ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वयं अर्जित खरीदशुदा रकबा की वसीयत अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1 के हक मे तहरीर एवं पंजीयन करवाई । मौका पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 बिना किसी विवाद के काबिज काश्त है । इसलिए उक्त खरीदशुदा रकबा मे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है । इसलिए प्रार्थीया का वाद खारिज योग्य है । प्रार्थना पत्र की दफा 5 मे पिता मूलचन्द की मृत्यु के कथन की हद तक स्वीकार है शेष कथन अविधिक असत्य व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि मिन अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता,

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सं. 2 के पति मूलचन्द के द्वारा अपनी मेहनत से व कमाई से चक 26 एसटीजी के प.नं. 48 / 323 के किला नं. 6 ता 10 की 1.265 हैक. जरिये पंजीकृत बैयनामा मदनलाल पुत्र डूंगर सिंह जाति राजपूत साकिन चक 26 एसटीजी से खरीद की थी । उक्त खरीद मे प्रार्थीया व अप्रार्थी के दादा फताराम के द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि वहन नही की गई । इसलिए प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता एवं अप्रार्थी 2 के पति का जन्म से पैतृक एवं सहदायिक सम्पत्ति नही है । ना ही उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा है क्योंकि उक्त रकबा अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 2 के पति द्वारा स्वयं की मेहनत से कमाई कर खरीद की है । इसमे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा जन्म से निहित नही है । मूलचन्द के द्वारा प्रार्थीया की शादी मे काफी धन दहेज, स्त्री धन, जेवरात, घरेलू सामान देकर उसकी शादी की है । मूलचन्द के द्वारा उक्त खरीदशुदा रकबा मे से अपनी पुत्रीयों कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा नही देना चाहता था । इसलिए मूलचन्द ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वयं अर्जित खरीदशुदा रकबा की वसीयत अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1 हक मे तहरीर एवं पंजीयन करवाई क्योंकि उक्त रकबा मे प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नही है इसलिए प्रार्थीया किसी प्रकार का विरासतन हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 6 असत्य, मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थीया के पिता व अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता, अप्रार्थी सं. 2 के पति के द्वारा अपनी मेहनत एवं श्रम जरिये पंजीकृत बैयनामा चक 26 एसटीजी की 1.265 हैक. रकबा खरीद किया जो कि उनका स्वयं अर्जित रकबा है । इसलिए उक्त रकबा मे प्रार्थीया किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिनी नही है । उक्त रकबा की वसीयत प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1, 3, 4, अप्रार्थी सं. 2 के पति के द्वारा अपने जीवनकाल मे अप्रार्थी सं. 1 के हक मे दिनांक 09.02.2015 को रोबरू गवाहान तहरीर एवं पंजीयन करवाई थी । किस प्रकार का कोई कुट रचित दस्तावेज तैयार नही किया गया है क्योंकि मूलचन्द को स्वयं द्वारा खरीदशुदा रकबा मे प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही बनता है और ना ही मूलचन्द प्रार्थीया को कोई हक व हिस्सा देना चाहता था इसलिए भविष्य मे उक्त भूमि की बाबत किसी प्रकार का वाद विवाद न हो इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थी सं. 1, 3, 4 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अप्रार्थी सं. 1 के हक मे वसीयत करवा दी उक्त वसीयत का ज्ञान प्रार्थीया को प्रारम्भ से ही था लेकिन प्रार्थीया द्वारा तथ्यों को रंगत देने के लिए शुन्य वाद पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को तंग परेशान नियत करने से ऐसा किया है । प्रार्थीया मिन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में की गई वसीयत के नामान्तरण को रोकने एवं मिन अप्रार्थी सं. 1 के विधिक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से प्रार्थीया ने विधि विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जिससे प्रार्थीया को किसी किस्म से अपूर्णीय व अपरिमय क्षति नही होकर मिन अप्रार्थीगण को हो रही है । अतः मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे । प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे । जवाब सरकार अनेक अवसर दिये जाने पर प्राप्त नहीं होने के कारण जवाब बंद किया जाता है।बहस उभय पक्ष सुनी गई।

—:आदेश:—

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुए कथन किये गए जिनपर बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 7 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 12.09.2017 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 12.09.2017 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25/06/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.06.26 17:25:05 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर ए एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा